

fufonk vke=k I ipuk

विड संख्या – 2 वर्ष 2010-11

1. विज्ञापनदाता का नाम :- कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी, लोहरदगा।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि :- दिनांक 17.06.2010 को 3:00 बजे अपराहन् तक।
3. निविदा खोलने की तिथि :- दिनांक 17.06.2010 को 3:30 बजे अपराहन्।
4. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :- दिनांक 14.06.10 से 16.06.10 तक कार्यालय अवधि में।
5. परिमाण विपत्र बिक्री, निविदा प्राप्त करने एवं खोलने का स्थान :-
 1. कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी, लोहरदगा।
 2. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, कचहरी रोड, अभियंत्रण भवन राँची।
 3. मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कचहरी रोड, अभियंत्रण भवन राँची।
6. कार्य का विस्तृत विवरण :-

ØØ	dk; l dk uke	i kDdfyr jkf'k %yk[k : 0 e½	vx/ku dh jkf'k %yk[k : 0 e½	i fjek.k foi = dk e½;	dk; l ekflr dh vof/k	; =] l ; = dk Lokl feRo
1	2	3	4	5	6	7
1	लोहरदगा जिला के कैरो में प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	208.63	4.173	10000.00	18 माह	पम्प, जेनरेटर, वाटर टैंकर, कंक्रीट मिक्चर भाईब्रेटर
2	लोहरदगा जिला के कैरो में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी आवास का निर्माण कार्य।	36.442	0.729	5000.00	18 माह	

- fufonk dh 'krkA www. Jharkhand.gov.in , oa I ipuk iVV- in ns[kk tk I drk gA

1. प्राक्कलित राषि घट बढ़ सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राषि के आधार पर अग्रधन की राषि मान्य होगी।
2. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जायेगा जो कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लोहरदगा के पदनाम से निर्गत होगा एवं लोहरदगा में भुगतये होगा।
3. परिमाण विपत्र क्रय हेतु आवेदन के साथ सिर्फ झारखण्ड राज्य के ग्रामीण विकास विभाग / भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग में समुचित श्रेणी का निबंधन एवं अद्यतन आचरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, बिक्री कर प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र एवं श्रम अनुज्ञप्ति की अभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। परिमाण विपत्र संवेदक या उनके द्वारा प्रधिकृत व्यक्ति जिनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित हो को ही निर्गत किया जायेगा।
4. अग्रधन के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) या पाँच वर्षीय सावधि जमा पासबुक देय होगा जो कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लोहरदगा के नाम से प्रतिज्ञित होगा।
5. संवेदक को निविदा के साथ सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. कीमत की वृद्धि होने पर (कार्य की प्रगति के दौरान) किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
8. कार्य स्थल पर संवेदक को साईनबोर्ड लगाना होगा जो विभाग द्वारा अनुमोदित होगा।
9. कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं बिजली – पानी की व्यवस्था करनी होगी।
10. कार्य आवंटित होने पर एक सप्ताह के अन्दर एफ0-2 एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर देना होगा। अन्यथा निविदा को रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. संवेदक का कार्य अनुभव पिछले किसी तीन वित्तीय वर्ष में होनी चाहिये।
12. संवेदक द्वारा किसी एक कार्य समान प्रकृति का निष्पादन करने का अनुभव होना चाहिये।
13. विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। निविदा से पूर्व निविदाकार स्थल का निरीक्षण कर लें एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र की राषि से अवगत हो लें।
14. परिमाण विपत्र क्रय के समय वांछित कागजात की मूल प्रति भी साथ लावे आवश्यकता पड़ने पर मूल प्रमाण पत्र भी दिखाना अनिवार्य होगा।
15. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
16. निविदाकार के यंत्र – संयंत्र स्वामित्व का प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
17. जिस संवेदक का विभाग में पूर्व आवंटित कोई कार्य लम्बित है अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है उन्हें कार्य का आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरान्त सबलेट करना एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
19. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के क्रम में उनके ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कुल कार्य भार के आलोक में उपलब्ध यंत्र-संयंत्र एवं वित्तीय क्षमता की सीमा तक नये कार्य आवंटित विचार नहीं किया जायेगा।
20. संवेदक को सभी निर्माण सामग्रियों का प्रबंध स्वयं करना होगा।
21. संवेदक को कार्य योजना देना अनिवार्य होगा जो एकरारनामा का भाग होगा।

